हो।

गैरसायल को अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 29/12/2017 को पेश हो।

तहसीलदार
रियाबड़ी

तहसीलदार, रियां बड़ी
(बारां - राजस्थान)

925
19/12/2017

9/12/2017 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल मालीराम उ० हुआ एवं सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया से क्षेत्र में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लाम्बोलाई के मौजा लाम्बोलाई के ख०नं० 283 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म भूमि बारानी-3 पर सन् 2014 में राजकीय भूमि पर कब्जा बनाकर नाजायज काश्त करने के सबब मालीराम पुत्र रेगालाल जाति मेघवाल निवासी लाम्बोलाई के के विरुद्ध पी० सी० रिपोर्ट पेश किया जिस पर इस न्यायालय में संज्ञान प्रकरण दर्ज कर गैर सायल के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया गैर सायल स्वयं उ० हुआ एवं अतिक्रमण करना स्वीकार किया ऐसी स्थिति में गैर सायल को राजकीय भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर किये गये अतिक्रमण से अतिक्रमण से बेदखल करने एवं धारणी के लगान का न्यायालय शुल्क रु० 06/- (छः रुपये मात्र) तलब किये जाते हैं। पटवारी हल्का लाम्बोलाई को भौतिक बेदखली एवं सुनवाई रा०ए० की कार्यवाही पूर्ण किया जाकर पत्रावली सुनवाई योग्य करली है। अतः तहसीलदार रियाबड़ी की पेशी जाकर पत्रावली के गुणावगुण पर अधिनिर्णय पारित दिनांक 29/12/2017 को सुनाया गया।

तहसीलदार, रियां बड़ी